8

Attachment- 1.6

Annexure-I

FORM-I

(For Linear Projects)

Government Of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No. R-454/एल०ए०-3 **Dated-** 27-12-2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **10.710 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department, Uttarakhand** for **Construction of Ramni-Pader Gaon to Pairi Motor Road under PMGSY in Chamoli district** falls within jurisdiction of **Pader Gaon, Boora, Aala, Jokhna and Pairi villages in Chamoli Tehsil.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.710 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23.(A).

(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

District Magistrate

(chamoli)

9

Annexure -23-(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on .27-12-14.... at 4:30P.M at Chamoli in which the application claiming rights in **Pader Gaon, Boora, Aala, Jokhna and Pairi villages in Chamoli Tehsil**, area measuring **10.710 Hectares** for the **Construction of Ramni-Pader Gaon to Pairi Motor Road under PMGSY in Chamoli district** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

जिलाधिकारी

District Magistrate–cum–Chairman,
District Level Committee,
Chamoli.

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– भूरा आला पडेरगांव

तहसील– चमोली ,जनपद–चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (........ है0 आरक्षित वन भूमि, 0.250 है0 सिविल भूमि 0.560 है0 वन पंचायत भूमि 9.800 है0) अर्थात कुल 10.710 ....है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम में पंचायत पेरगांव भूरा आला द्वारा दिनांक 16-12-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भूरा आला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.710 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/ ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र ...
ग्राम सचिव ग्रा० प०वि० अ०

वन पंचायत पडेरगांव — ह0 [signature]

ग्राम पंचायत पडेरगांव तागला — ह0 ममता देवी, दि० प्रधान, चमोली

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है।

मा० ख्याल सिंह
(सरपंच वन पं०
जोविना आला)

ग्राम पंचायत जोर... ह0 [signature] दिनांक ... घाट जनपद

ह0 [signature] दिनांक

प्रपत्र–23,1

दिनांक– 16-12-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– कुरा आला पडेरगांव

क्र0स0	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	हीरासिंह नेगी पूर्वप्रधान कुरा	[signature]
		[signature] वीरेन्द्र क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम व पो० कुरा पडेरगांव तोरती विकास खण्ड-घाट चमोली उत्तराखण्ड
	वनपंचायत सरपंच पडेरगांव	सरपंच वन पंचायत पडेरगांव ह० [signature] दि०
	सदस्य वनपं० पडेरगांव	[signature]
	वनपं० सरपंच आलाजोविना	महीपाल सिंह
	हीरासिंह बिष्ट पूर्वप्रधान जोविना आला	[signature]
	भवान सिंह	भवान सिंह
		[signature]
	मोहनसिंह प्रतापसिंह	[signature]
		[signature]
	नरेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
		[signature]
	राजेन्द्र सिंह	[signature]
		[signature]
	माहेश्वरी देवी	माहेश्वरी देवी

प्रधान ग्राम पंचायत कुरा ह० [signature] प्र० कुरा

प्रधान ग्राम पंचायत पडेरगांव ह० ममता देवी प्रधान पडेरगांव

प्रधान ग्राम पंचायत जोविना ह० [signature] प्रधान आला

प्रपत्र–23–2

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पडेरगाव – पेरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बूरा आला पडेरगांव

उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग (0.250 है0) आरक्षित वन भूमि–0.560 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि–9.800 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल10.710है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–चमोली) की दिनांक 25-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अवधेशकुमार, उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1	श्री	अवधेश कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष [signature]
2	श्री	श्री शिवानन्द सुमन	उपप्रभागीय वनाधिकारी/सिंह	सदस्य [signature]
3	श्री	बृजलाल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव [signature]
4	श्री	वीरेन्द्र कुमार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य [signature]

वीरेन्द्र क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम व पो० बूरा पडेरगांव ... चमोली उत्तराखं

उपखॅण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 10.710 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, बद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

पजेरगांव – पेरी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 10.710 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

AK Sagl

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चमोली
जनपद– चमोली

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चमोली
जनपद– चमोली

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पडेरगाव – घेरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 25-12-2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद–चमोली।

1	श्री अवधेश कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0/ AKS
2	श्री ~~शिवाचन्द्र सुमन~~ के एल0 भारती	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature]
3	श्री बृज लाल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	[signature]
4	श्री वीरेन्द्र कुमार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	[signature] वीरेन्द्र

वीरेन्द्र
क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्राम व पो० बूरा पडेरगांव सौंगला
विकास खण्ड-घाट चमोली उत्तराखण्ड

(15)

<u>प्रपत्र–23</u>

परियोजना का नाम:– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैरगाँव – पैरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– सीक गेरी पैरी

तहसील– चमोली **,जनपद–चमोली।**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में पैरगाँव – पैरी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (................ है0 आरक्षित वन भूमि 0.250 है0 सिविल भूमि 0.560 है0 वन पंचायत भूमि 9.800 है0) अर्थात कुल 10.710 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम में पंचायत सीक गेरी पैरी द्वारा दिनांक 18-12-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सीक गेरी पैरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.710 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र ग्वाड़, गेरी सीक
जिला चमोली

ह0/
ग्राम सचिव / ग्रा० प० वि० अधि०

सरपंच वन पंचायत सीक
दि0 ....
ह0
वि० ख० घाट, चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत गेरी सीक
ह0
दिनाक
विकास खण्ड घाट

ह0/
प्रधान

<u>नोट:–</u> यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23,1

दिनांक–18-12-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– सौंक गैरी गैरी

क्र0स0	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	वन पंचायत सरपंच सौंक	सरपंच वन पंचायत सौंक ह0 [signature] वि0 ख0 घाट, चमोली
2	(कुवरसिंह नेगी अध्यापक)	[signature]
3	मोहनसिंह नेगी	
		[signature]
		[signature]
	तिलोक सिंह	तिलोक सिंह
	मोहन सिंह	मोहन सिंह
	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
		[signature]
	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
		[signature]
	गंगा सिंह	गंगासिंह
	कंचन सिंह	कंचनसिंह
	बलवन्त सिंह	बलवन्तसिंह
	रूप सिंह	रूपसिंह
	त्रिलोक सिंह	त्रिलोकसिंह
	बिक्रम सिंह	बिक्रम सिंह
	पूरण सिंह	पूरण सिंह
		[signature]
	भरत सिंह	भरत सिंह
	मोहन सिंह	मोहन सिंह
		गंगासिंह
	केदार सिंह	केदार सिंह
	गंगा सिंह	गंगासिंह

प्रधान ग्राम पंचायत गैरी सौंक ह0 लक्ष्मी देवी प्रधान दिनांक सौंक गैरी विकास खण्ड घाट चमोली

[signature]

प्रपत्र–23–2

परियोजना का नाम:– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत परेशोंव – पेरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– सोक गेरी पेरी

उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत परेशोंव – पेरी मोटर मार्ग (0.250 है0) आरक्षित वन भूमि-0.560 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि-9.800 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 10.710 है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– चमोली) की दिनांक 24/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अवधेश कुमार, उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1	श्री अवधेश कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष AK Sgl
2	श्री शिवानन्द सुमन	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य (signature)
3	श्री बृजलाल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव (signature)
4	श्रीमती पुष्पा देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य पुष्पा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि परेशोंव TO पेरी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 10.710 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, बद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

परेगाव - पेनी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.0.7.1.0 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

AK Singh
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चमोली
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि:–जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चमोली
जनपद– चमोली

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैरगाँव – पैरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 24/12/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद–चमोली।

1	श्री अवधेश कुमार	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0 /
2	श्री ~~शिवानन्द सुमन~~ के० एल० भारती	उपप्रभागीय वनाधिकारी / पैरेंट	सदस्य	
3	श्री हरनलाल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्रीमती पुष्पादेवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	पुष्पा देवी